कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

संख्या : 1870 /अ–2/सी0ई0एच0/सीधी भर्ती–नियुक्ति/18 दिनांक 27/12/2018

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या–5/विसेआ/2017/जे0ई0 के अन्तर्गत चयनोपरान्त नवनियुक्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) को कार्यभार ग्रहण करने एवं आधारभूत प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न पत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया गया था कि प्रशिक्षण के मूल्यांकन निर्धारण एवं इसके कारण प्रशिक्षण पर होने वाले प्रभाव सम्बन्धी आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें। अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–698–का0वि0नी0 एवं नियम/पाकालि/2018–12–विनियम/2018, दिनॉक 22.12.2018 द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोंपरान्त मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी:–

" नव नियुक्ति अवर अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) को कारपोरेशन में प्रथमतः 01वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 01माह का classroom अभिविन्यास प्रशिक्षण, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ तथा शेष 11माह का On Job प्रशिक्षण उनके तैनाती कार्यालयों में प्रदान किया जायेगा। अवर अभियन्ता (प्रशिक्षुओं) से यह अपेक्षा होगी कि वह गम्भीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

अवर अभियन्ताओं (प्रशिक्षुओं) का प्रशिक्षण के उपरान्त नियमितीकरण, उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा। मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणोंपरान्त एवं 100 अंक की परीक्षा आयोजन विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा।

भाग–एः जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये classroom प्रशिक्षण का मूल्यांकन होग्रा यह भाग 50 अंक का होगा।

भाग–बीः जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये On Job प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा यह भाग भी 50 अंक का होगा।

प्रत्येक भाग में प्रशिक्षु को न्यूनतम 25 अंक और भाग–ए एवं भाग–बी को मिलाकर समग्रता में 100 अंक में से 60 अंक का अर्जन, उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होगा, तभी उनका प्रशिक्षण समाप्त कर नियमितीकरण का आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षणोंपरान्त ली गयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिसके उपरान्त पुनः नियमितीकरण हेतु इसी प्रकार की प्रकिया दोहरायी जायेगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगे प्रशिक्षण अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी और ऐसे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) की नियुक्ति, उसको अनुपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत समाप्त कर दी जायेगी।"

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्याः 1870 अ–2/तद्दिनॉक 27/12/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।

5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष एवं निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से प्रशिक्षण पा रहे अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) को भी सूचित कराना चाहे।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0, की वेबसाइड पर अपलोड़ करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त कारपोरेट कार्यालय...
11 व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।

27.12.18

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक–षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)